

२६/२
२२ पत्रावली सुन्दर। कबीर कारिगम क्रम।
न्यायालय के द्वारा बार बार रुक रुक
कर पुकारे जाते हैं ना तो कारिगम
ना ही कबीर कारिगम - न्यायालय के
समक्ष उपस्थित हुए। अतः वाइकदम
हाजिरी अदम पेची में खरिज किया
जाता है। पत्रावली निम्नानुसार कबिरे
दस्तावेज नम्बर ले कर दो।

Prab
(प्रियंका तलानिया)
उपखण्ड अधिकारी
अनूपगढ़

